

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
के अन्तर्गत भारत सरकार,
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की
स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन भूमि
हस्तान्तरण प्रस्ताव

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत
सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी० 11 से ग्राम
बनियास तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

क्षेत्रफल - 1.449 हे०

लम्बाई - 3.00 किमी०

प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग

CHECK LIST**Name of Project : Construction of Baniyas Motor Road from Simli Chulakot Motor Road in Km 11.**

Sl. No.	Name of the Document	Page No.	Remark
1	2	3	4
1- Main Attachments			
1.1.	Documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency.	5	Attached
1.2	Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted.	6	Attached
1.3	Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS.	7	Attached
1.4	Google Map of the proposed site showing legal status of the proposed land and alternative examined for the project with legend.	8	Attached
1.5	Note containing justification for locating the Project in forest land.	9	Attached
1.6	Certificate by DM- Forest Right Act-2006	10-15	Attached
1.7	Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating location of the land identified for creation of Compensatory Afforestation	16	Attached
1.8	Colored copy of the google map showing the land identified for CA.	17-18	Attached
1.9	If non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency? A Copy of ownership proof and No Objection Certificate	19	Attached
1.10	Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency.	20	Attached
1.11	Cost benefit anylises (in more then 5.0 ha. Land diversion cases)	-	Not Required, as the Land Diversion is less than 5.0 HA
1- Additional Documents			
2.1	A short narrative and importance of the project.	21	Attached
2.2	Administrative and Financial sanction.	22-24	Attached
2.3	Preliminary Joint Inspection report.	25	Attached
2.4	Comperative chart showing statement of both alignment of the proposed project.	26-28	Attached
2.5	Certificate from the DM that no alternative suitable non-forest land is available for the project in question and the demand of the forest land for the project is barest minimum.	29	Attached
2.6	Land schedule	30-34	Attached
2.7	Category wise land length, width and area	35	Attached
2.8	Bar Chart with index	36	Attached
2.9	Compensatory afforestation scheme in Civil and Soyam land	37-38	Attached
2.10	Certificate regarding suitability of indentified land for Comensatory Afforestation	39-40	Attached
2.11	Undertaking by the User Agency to bear the cost of compensatory afforestation	41	Attached
2.12	Road side plantation estimate	42	Attached


CHECK LIST**Name of Project : Construction of Baniyas Motor Road from Simli Chulakot Motor Road in Km 11.**


Sl. No.	Name of the Document	Page No.	Remark
1	2	3	4
2.13	Undertaking by the User Agency to bear the cost of Road side /gap filling plantation	43	Attached
2.14	Estimate of 100 trees plantation (less then 1.0 ha. cases)	—	Not Required
2.15	Details of the trees with their scientific name	44	Attached
2.16	Felling of Oak trees (if involves, inspection report of the concerning CF has to be provided)	45	Attached
2.17	Certificate from DFO If felling of trees is not involved	—	Not Required
2.18	Certificate of felling minimum trees during the project work	46	Attached
2.19	Muck disposal scheme	47-57	Attached
2.20	Status of the project area is a part of National Park or sanctuary and arial distance of the project from National Park or sanctuary	58-59	Attached
2.21	If the project area is within 10 Km radius of National Park or Centuary No objection certificate of CCF Wild Life	—	Not Required
2.22	If the Project falling within the National park or Sanctuary, needs recommendation of State Wild Life Board, National Board of Wild Life (NBWL) and permission of Hon'ble Supreme Court/MoEF Gol.	—	Not Required
2.23	No voilation has taken place, FC Act. 1980 reg	60	Attached
2.24	NOC from local Gram Sabhas	61	Attached
2.25	Approved general lay out plan/alignment and estimate from competent authority with name and designation.	—	Not Required
2.26	Component wise details of construction work.	—	Not Required
2.27	Certificate- work has not been started reg.	62	Attached
2.28	Geologist Report	63-65	Attached
2.29	Task Force report	66-67	Attached
2.30	Item wise details of work		
2.31	Certificate by user agency for complying the condition imposed in Standard Condition	68-69	Attached
2.32	Certificate by user agency for complying the condition imposed in geologist report/Task force recommendation in hill areas	70	Attached
2.33	No historical/monumental or relegeous place will be effected.	71	Attached
2.34	Undertakoing regarding no animal will be effected adversely by the project	72	Attached
2.35	Undertading to provide alternative fuelwood, kerosene or LPG to labours involved in project	73	Attached
2.36	Benefited villages/Families/Population Certificate	74	Attached
2.37	NPV calculation certificate as per Hon'ble Supreem court /MoEF orders	75	Attached
2.38	Undertaking of payment of NPV, if Hon'ble Supreem Court increases the rates of NPV	76	Attached
2.39	Cost of the forest land and lease rent certificate	—	Not Required
2.40	Certificate of Lease period	—	Not Required

CHECK LIST

Name of Project : Construction of Baniyas Motor Road from Simli Chulakot Motor Road in Km 11.

Sl. No.	Name of the Document	Page No.	Remark
1	2	3	4
2.41	Demarcation of land to be diverted	77	Attached
2.42	Undertaking of user agency to bear the cost for demarcation work	78	Attached
2.43	Non-availability of non-forest land for compensatory afforestation certificate.	—	Not Required
2.44	Fact sheet . /Other imp details	79-82	Attached


 Assistant Engineer
 Provincial Division, PWD
 Karanprayag


 Executive Engineer
 Provincial Division, PWD
 Karanprayag



कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
सातवाँ वृत्त, लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

Phone/Fax :- 01372-252173


E-mail :- sepwdgope@rediffmail.com

पत्रांक :- 4987/2 अक

दिनांक :- 17/12/2014


Certificate

Mr. Adarsh Gopal Singh Son of Shri. P.R. Singh is hereby authorized to upload the Land Transfer Proposal regarding Roads of the Provincial Division, PWD, Karanprayag on the Government of India portal www.forestclearance.nic.in on behalf of the Superintending Engineer, 7th Circle, PWD, Gopeshwar (Chamoli).


Superintending Engineer
7th Circle, PWD,
Gopeshwar (Chamoli)

डिजिटल मैप – जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी० 11 से बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

0 0.5 1 1.5 Km



Start Point
79°15'38.14"E
30°11'23.20"N

End Point
79°15'32.79"E
30°11'0.30"N

- Legend**
- Muck Disposal
 - Proposed_Road
 - Existing_Road
 - Reserve Forest
 - Reserve Forest Boundary
 - Forest Division Boundary

[Signature]
प्रभारी अधिकारी
बद्रनाथ वन भाग
बोपश्वर (चमोली)


[Signature]
सहायक अभियन्ता
कर्मवीर खण्ड लो. नि. वि.
कर्णप्रयाग

[Signature]
अधिसारी अभियन्ता
कर्मवीर खण्ड लो. नि. वि.
कर्णप्रयाग चमोली

[Signature]
J.E

डिजिटल मैप – जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी० 11 से बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

0 0.5 1 1.5 Km



Start Point
79°15'38.14"E
30°11'23.20"N

End Point
79°15'32.79"E
30°11'0.30"N

- Legend**
- Muck Disposal
 - Proposed_Road
 - Existing_Road
 - Reserve Forest
 - Reserve Forest Boundary
 - Forest Division Boundary


[Signature]
अभिषेक त्रिपाठी
बद्रिनथ वन भा।
बोपश्वर (चमोली)

[Signature]
सहायक अभियन्ता
ग्रामीण सड़क लो. नि. वि.
चमोली

[Signature]
अभिशासी अभियन्ता
ग्रामीण सड़क लो. नि. वि.
कर्णप्रयाग (चमोली)

[Signature]
J.E

डिजिटल मैप — जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी० 11 से बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु



- Legend**
- Muck Disposal
 - Proposed Road
 - Alternate Road
 - Existing Road

[Signature]
प्रभागीय वन्याधिकारी
 वन विभाग, गोपेश्वरा

[Signature]
सहायक अभियन्ता
 जल विभाग, चमोली जिला, चमोली

[Signature]
अभिजासी अभियन्ता
 राष्ट्रीय राजमार्ग बो. नि. वि.
 कर्णप्रयाग [चमोली]

[Handwritten initials]

Justification

Name of The Project: Construction of Baniyas Motor road from Simili- Chulakot motor road in km 11.

Necessity of the Project and Justification for locating the Project in Forest Area

Presently the villagers of the village Baniyas have to walk through a distance of 3 to 4 Km to meet their daily needs as there is no road connecting the village. Due to the non-existent of any road connectivity the lives of the villagers are in constant danger as there are no medical services which could be provided to them even in cases of emergency such as maternity.

Further, due to non-existent of the road connectivity the area remains backward in all respects. The main occupation of the villagers residing in this village is animal husbandry and agriculture.


The villagers are forced to carry their cultivated crops such as Lehsoon, Dhan, Ghehun, Aloo, Green Vegetable, Onion etc. on their feet or by mules to the nearby market.


Due to the construction of road following benefits are provided to local People & Government too.

- 1- Enhance the social and economical development of this area.
- 2- Migration of people from the village shall be minimized.
- 3- Due to easily accessibility forest can be protected from fire during summer season to save Vegetation Plants & animals.
- 4- The Village People will travel large distance for their Jobs.
- 5- Local people will find jobs near their village.
- 6- More women will get employment & will improve their economic situation.
- 7- Educational development in this area.
- 8- Hospital and medical facilities.
- 9- Baintal (Pound) is near to the village, so the village will develop as a tourist place.
- 10- Many species of wood trees found in the village so village will develop as a supplier of wood to the wood industries.

The forest land area falling in the proposed alignment of the road which is 1.449 Hectare has been surveyed to the minimum and also the alignment of the road has been proposed in such a manner that there shall be a minimum of tree felling. Other than the proposed alignment for the road, there is no such alignment which shall reduce the diversion of forest area or felling of the trees. The overall width proposed for acquiring of the land is 3.00m and the construction of the road shall be carried out in a width of 6.00 in straight reaches. The Geological Investigation along the proposed alignment has been carried out which also states that the proposed alignment of the road is safe for construction. There are no graveyards, religious, historical/monumental or legendary places falling in the proposed alignment of the road.

In view of the above facts and in public interest, it is requested that the Forest land area of 1.449 Hectare may kindly be diverted for the construction of the road.


Assistant Engineer
Provincial Division PWD
Karanprayag


Executive Engineer
Provincial Division PWD
Karanprayag

FORM-I
(for Linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No. /

Dated : / /2014

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that **1.449 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **Public Works Department Uttarakhand for Construction of Baniyash Motor Road from Simli Chulakot Motor Road in Km 11** falls within jurisdiction of Baniyash Village in Karanprayag Tehsil.

It is further certified that :-

- (g) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.449 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).
- (h) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it,
- (i) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above


Sanjay Kumar
District Magistrate
Chamoli (Uttarakhand)

**Office of the District Collector,
District-Chamoli (Uttarakhand)**

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act)FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhand), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri Sanjay Kumar, District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on 14.01.2015. At 14.01.2015. at Chamoli in which the application claiming rights in village Baniyash of Tehsil-Karanprayag, area Measuring 1.449 Hectares for the **Construction of Baniyash Motor Road from Simli Chulakot Motor Road in Km 11** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Karanprayag Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.


Sanjay Kumar
District Magistrate –cum-
Chairman, District Level
Committee, Chamoli

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम- चमोली में विकास खण्ड कवप्रभाग के अन्तर्गत सिमली चुलाकोट मोठे मार्ग के विमी. 11 से ग्राम बनिवास तक मोट्टे मार्ग का निर्माण
कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड चमोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत सिमली चुलाकोट मोठे मार्ग - 3.15 km. 11 से विकास

मोठे मार्ग का निर्माण हे. आरक्षित वन भूमि 1.449 हे. सिविल एवं सोयम वन भूमि X हे. वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल
हे. वन भूमि) का 1.449 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति
और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति,
(तहसील.....) की दिनांक 13/01/015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008
के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक 13/01/015 उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड
स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार
है।

- 1:- श्री किशन सिंह नेगी उपजिलाधिकारी अध्यक्ष
- 2:- श्री शिवानन्द सुमन उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य,
- 3:- श्री सौ. एन. सिंह शर्मा सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य,
- 4:- श्री बी.डी.सी. क्षेत्र सदस्य,

- 5- श्री माल पट्टे पुमोहित वन अधिकार समिति सदस्य सदस्य
- 6- श्रीमती सुशीला रावत वन अधिकार समिति सदस्य सदस्य
- 7- श्री प्रदीपल सिंह नेगी सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से
बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि चमोली में विकास खण्ड कवप्रभाग

अन्तर्गत सिमली चुलाकोट मोठे मार्ग के 1.15 km. 11 से विकास परियोजना हेतु 1.449 हे. वन भूमि 13/01/015
तक मोट्टे मार्ग का निर्माण

कोप्रिया... प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी व. प्री. लाल द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कोप्रिया परिक्षेत्र के अर्न्तगत श्री. लाल श्री. शर्मा ने. 14.10.11 से वनिशच तन्व मो० मणि या निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 1.4.4.9 हे. वन भूमि लो.१.नि.वि.३ प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी
उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील कोप्रिया
जनपद सरोली

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी सरोली को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अर्न्तगत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के कि. मी. 11 से बनियास तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकारी अधिनियम 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:- कोटी

तहसील - कर्णप्रयाग, जिला.- चमोली,

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अर्न्तगत विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अर्न्तगत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के कि.मी. 11 से बनियास तक मोटर मार्ग का विस्तार परियोजना के निर्माण हेतु (X हे. आरक्षित वन भूमि, 1.442 हे. सिविल सोयम भूमि X हे., वन पंचायत भूमि X हे.) अर्थात् कुल 1.449 हे. वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ~~चमोली~~ द्वारा दिनांक 15/01/015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ~~चमोली~~ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी का परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह./-

ग्राम सचिव.....ग्राम प्रधान.....हारमौटे.....

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।


उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र- 23.1

दिनांक15/01/015.....को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति


ग्राम पंचायतहारमौटे.....

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	<u>रमेश कुमार</u>	<u>Ramesh Kumar</u>
②	<u>Kurpd</u>	<u>KPL</u>
③	<u>Dalveant</u>	<u>Dalveant</u>
④	<u>Premmel</u>	<u>Premmel</u>
⑤	<u>श्याम लाल</u>	<u>श्याम लाल</u>
⑥	<u>मदन लाल</u>	<u>मदन लाल</u>
⑦	<u>मानस कुमार</u>	<u>मानस कुमार</u>
⑧	<u>विपिन कुमार</u>	<u>विपिन कुमार</u>
⑨	<u>उमेश कुमार</u>	<u>उमेश कुमार</u>
⑩	<u>गायत्री देवी</u>	<u>गायत्री देवी</u>
⑪	<u>गायत्री देवी</u>	<u>गायत्री देवी</u>



डिजिटल मैप – जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी० 11 से बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल

0 0.5 1 1.5 Km



Legend

- Proposed Plantation Land
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Division Boundary

Handwritten signature in blue ink


जनपद चमोली
कोषाध्यक्ष (चमोली)

वहावर अक्षय
कर्मचारी चमोली वि. वि.
R. 12/25

अधिकारी अक्षय
राष्ट्रीय वन्य जीव वि. वि.
कर्णप्रयाग [चमोली]

Handwritten signature and initials
J.F

डिजिटल मैप – जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली
 चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी० 11 से बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु
 प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल



Legend

Proposed Plantation Land

Handwritten signatures and text:
 जमनीय नगरपालिका
 सहायक अभियन्ता
 कर्णप्रयाग जं. नि. वि.
 J.E

Handwritten signature and text:
 अधिशासी अभियन्ता
 राष्ट्रीय खण्ड जं. नि. वि.
 कर्णप्रयाग [चमोली]

डिजिटल मैप – जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी० 11 से बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल



Legend

Proposed Plantation Land

बन्यास (चमोली)

सहायक विकास अधिकारी
जनपद चमोली

परिचालक
जनपद चमोली

प्रमाणित वृक्षारोपण
जनपद चमोली

भूमिदाताओं का अनापत्ति प्रमाण

(1-10)

22

जनपद चमौली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत
 सिमली-चुलाकोट मोटर मार्ग के किमी 11 से बर्षास
 तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु जो सम्प्रेक्षण निम्न
 गणना है वह उचित है और इस सम्प्रेक्षण में कद-से
 कम वन भूमि प्रभावित हो रही है इस सम्प्रेक्षण के
 अन्तर्गत हमारी जो भी नाप भूमि प्रभावित होगी उसे इस
 मार्ग निर्माण हेतु देने के लिए सहमत है साथमें हमारी
 कोई आपत्ति नहीं होगी

इशाम लाल

व्यवसाय
 भवदीप

अनूप कुमार

इशाम लाल समस्त ग्रामवासी

Sushresh

अनूप कुमार

Marendera Kumar,

Sushresh

विपिन कुमार

Alta
Department

कुषाल लाल

उमेश देवी

गायत्री देवी

माहेश्वरी देवी

सिमला देवी

Muna

Alta
Department

गायत्री देवी

सिमला देवी

Muna

भूमिदाताओं का अनापत्ति प्रमाण

(1-10)

22

जनपद चमौली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत
सिमली-चुलाकोट मोटर मार्ग के किमी 11 से बर्षास
तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु जो संभरेखण निमा
गया है वह उचित है और इस संभरेखण में कद-से
कम वन भूमि प्रभावित हो रही है इस संभरेखण के
अन्तर्गत हमारी जो भी नाप भूमि प्रभावित होगी उसे इस
मार्ग निर्माण हेतु देने के लिए सहमत है यामें हमारी
कोई आपत्ति नहीं होगी

इय्याम लाल

व्यवसायिक
अवधीय

अनूप कुमार

Sushresh

Marendera Kumar,

विपिन कुमार

कुषाल लाल

उमेश देवी

गायत्री देवी

माहेश्वरी देवी

सिमला देवी

Munna

इय्याम लाल समस्त ग्रामवासी

अनूप कुमार

Sushresh

Alta

Dependence

1/2

Gudayya

गायत्री देवी

माहेश्वरी देवी

सिमला देवी

Munna

Justification

Name of The Project: Construction of Baniyas Motor road from Simili- Chulakot motor road in km 11.

Necessity of the Project and Justification for locating the Project in Forest Area

Presently the villagers of the village Baniyas have to walk through a distance of 3 to 4 Km to meet their daily needs as there is no road connecting the village. Due to the non-existent of any road connectivity the lives of the villagers are in constant danger as there are no medical services which could be provided to them even in cases of emergency such as maternity.

Further, due to non-existent of the road connectivity the area remains backward in all respects. The main occupation of the villagers residing in this village is animal husbandry and agriculture.


The villagers are forced to carry their cultivated crops such as Lehsoon, Dhan, Ghehun, Aloo, Green Vegetable, Onion etc. on their feet or by mules to the nearby market.


Due to the construction of road following benefits are provided to local People & Government too.

- 1- Enhance the social and economical development of this area.
- 2- Migration of people from the village shall be minimized.
- 3- Due to easily accessibility forest can be protected from fire during summer season to save Vegetation Plants & animals.
- 4- The Village People will travel large distance for their Jobs.
- 5- Local people will find jobs near their village.
- 6- More women will get employment & will improve their economic situation.
- 7- Educational development in this area.
- 8- Hospital and medical facilities.
- 9- Bainital (Pound) is near to the village, so the village will develop as a tourist place.
- 10- Many species of wood trees found in the village so village will develop as a supplier of wood to the wood industries.

The forest land area falling in the proposed alignment of the road which is 1.449 Hectare has been surveyed to the minimum and also the alignment of the road has been proposed in such a manner that there shall be a minimum of tree felling. Other than the proposed alignment for the road, there is no such alignment which shall reduce the diversion of forest area or felling of the trees. The overall width proposed for acquiring of the land is 3.00m and the construction of the road shall be carried out in a width of 6.00 in straight reaches. The Geological Investigation along the proposed alignment has been carried out which also states that the proposed alignment of the road is safe for construction. There are no graveyards, religious, historical/monumental or legendary places falling in the proposed alignment of the road.

In view of the above facts and in public interest, it is requested that the Forest land area of 1.449 Hectare may kindly be diverted for the construction of the road.


Assistant Engineer
Provincial Division PWD
Karanprayag


Executive Engineer
Provincial Division PWD
Karanprayag

संख्या- 830 / 111(2) / 08-29(प्र0आ0) / 07

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून। ...

ज.नि.वि. / प्र.नि.वि. / प्र.नि.वि.
मु.डा.0 स्तर-1
लो.नि.वि.

श्रीमती वि.वि.
25/03/08

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 24 मार्च, 2008

विषय:- वित्तीय वर्ष 2007-08 में स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान(एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत 48 नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची के अनुसार उपलब्ध कराये 48(अडतालीस) कार्यों के लागत कुल रूपये 10656.15 लाख के आगणनों पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रूपये 9901.21 लाख (रूपये निम्नानवे करोड एक लाख इक्कईस हजार मात्र) की धनराशि की उनके सम्मुख कॉलम-5 पर अंकित संलग्न वित्तमानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कॉलम-6 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 4.80 लाख (रू0 बीस हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 में व्यय करने की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।
- एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू-गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।
- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी गोलनार्थों सेन भूमि का धारण कर के स्वीकृत करने के बाद ही कार्यवाही

सहायक अभियन्ता
प्रादेशिक खण्ड, लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग (चमोली)

—2—

12. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
13. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक-31.03.2008 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टेंडर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेंडर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जायेगा।
14. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।
15. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
16. यदि उक्त कार्य के विपरीत पूर्व में किन्ही अन्य बचत से धनराशि स्वीकृत हुई है तो उसका विवरण शासन को देकर अवशेष धनराशि का ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।
17. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-30 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़क-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-02 अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
18. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-362/XXVII(2)/2008 दिनांक 24 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक:- 48 कार्यों की सूची।

भवदीय,
प्रदीप सिंह रावत
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

संख्या- (1)/111(2)/08-29(पाआ0)/07, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमाऊँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक।

द्वारा

अधीनस्थ
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

पृष्ठ सं० 37/20 शा० (क) 100

दि० 25/3/08

प्रति:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य अभियन्ता गढ़वाल/कुमाऊँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा
2. अधीनस्थ अभियन्ता, 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12 का क्षेत्र गोपेश्वर
3. प्राचार्य (लेख, नैनी)
4. गार्ड बुक

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो.नि.वि.0

गौघर

संख्या:- 1090/34सी

दिनांक 1-4-08

प्रतिलिपि सहाय्य अभियन्ता प्रक्रम को सूचना हेतु प्रेषित, अस्थाई खण्ड लो.नि.वि.0

शासनादेश संख्या- 830 / 111(2) / 08-29(प्रा.आ.) / 07, दिनांक 24 मार्च, 2008 का संलग्नक

(घनराशि लाख रु० में)

क. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	लागत (लाख रु०) में	डी०ए०सी० वित्त द्वारा आंकलित घनराशि	वित्तीय वर्ष 2007-08 में व्यय की स्वीकृति
1	2	3	4	5	6
1.	चमोली में वि०ख० घाट के अन्तर्गत जोखना लगा बुरा तक मोटर मार्ग निर्माण	7.00 + 1 सेतु	233.33	233.33	0.10
2.	चमोली में वि०ख० घाट के अन्तर्गत ग्राम प्राणमती तक मोटर मार्ग निर्माण	10.00	270.80	270.80	0.10
3.	चमोली में वि०ख० कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली घुलाकोट बेनीताल मोटर मार्ग के किमी० 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	81.24	81.24	0.10
4.	कफडा छब्बीसा हवा० मोटर मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन तथा पुनः निर्माण तथा सुधार कार्य	3.00	77.40	77.40	0.10
5.	पौड़ी में रा०इ०का० ओजली (खांड्यू सैण) से ग्राम ब्रह्मण कफलना तक मोटर मार्ग निर्माण	4.00	85.4	85.40	0.10
6.	पिथौरागढ़ के अन्तर्गत मदनपुर नैनी मोटर मार्ग एवं मोटर सेतु की नई दरों पर अवशेष कार्यों का निर्माण।		75.70	75.70	0.10
7.	अल्मोड़ा में नौला-रेखलघार (मटेला) मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	117.00	117.00	0.10
8.	अल्मोड़ा में दन्या-बेलक-दिवारखोली मोटर मार्ग का निर्माण	7.00	182.79	182.79	0.10
9.	पिथौरागढ़ में सातसिलिंग-थल मोटर मार्ग से रिण तक मोटर मार्ग का निर्माण (2.00 किमी०) एवं दो पुल।		136.40	136.40	0.10
10.	अल्मोड़ा में नौला-स्योतरा-महरनैल मोटर मार्ग का स्पेशल कम्पोजेन्ट प्लान के अन्तर्गत नव निर्माण	10.00	233.00	233.00	0.10
11.	अल्मोड़ा में वि०ख० लमगडा के अन्तर्गत डौरा-रतखान मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार का कार्य	2.00	35.00	35.00	0.10
12.	जनपद बागेश्वर में ग्राम थकलाड के पास गोमती नदी में 64 मी० विस्तार स्टील गर्डर मोटर सेतु एवं फटगली-थकलाड-विलेख मोटर मार्ग निर्माण कार्य	10.00	617.40	610.40	0.10
13.	अल्मोड़ा में सिरानिया से डालाकोट-नगरखान ग्राम हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण	5.00	130.56	130.56	0.10
14.	जनपद अल्मोड़ा में टाट बण्ड डैली, नौरा, बल्मा, बड़यूडा, टाना मटेना मोटर मार्ग के निर्माण		442.00	442.00	0.10
15.	कापड़खाल (चौड मी० से मरोड़ा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण)	5.00	86.25	86.25	0.10
16.	नैनीताल में प्रगराडी से पोखरी मोटर रोड का निर्माण	3.00	64.20	64.20	0.10
17.	जनपद नैनीताल में सुरमान बण्ड से मल्लो गहना मोटर रोड का निर्माण	3.00	64.20	64.20	0.10
18.	जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड पुरोला में धधराली पुल (सरनौल) से सरबडियार हेतु मोटर मार्ग के निर्माण	12.00	296.88	296.88	0.10

पुनीजा

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खाण्ड, लो० नि० वि०
कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रारूप-6

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

आज दिनांक 03 / 10 / 09 को लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग (एजेन्सी का नाम) के द्वारा किमी 0.000 से 3.000 तक बनाये जाने वाले मार्ग/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री संतोष कुमार (वन दरोगा), राजस्व विभाग की ओर से श्री ~~वनेन्द्र सिंह~~ (पटवारी), प्रस्तावक विभाग की ओर से श्रीमती पूजा नेगी एवं श्री मकान लाल (कनि.अभि.), अन्य दावेदारों की ओर से श्री ~~राजीव शर्मा~~ तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में श्री ~~—~~ के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखन के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 930 (मी0) नाप भूमि से, 2070 (मी0) सिविल भूमि से, ~~...~~ (मी0) वन पंचायत से, ~~...~~ (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखन/स्थल के चयन में कुल 0.651 हे0, नाप भूमि ~~...~~ हे0 1.449 हे0, सिविल भूमि से, ~~...~~ हे0 वन पंचायत भूमि ~~...~~ हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 1.449 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी।

इस समरेखन पर चुने गये स्थल पर लगभग 142 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से 119 बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

इस समरेखन के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें 1100 (मी0) नाप भूमि से, 2500 (मी0) सिविल भूमि से, ~~...~~ (मी0) वन पंचायत से, ~~...~~ (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 0.800 हे0 नाप भूमि 0.770 हे0, 1.750 हे0 सिविल भूमि ~~...~~ हे0 वन पंचायत भूमि ~~...~~ हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 2.57 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर चुने गये स्थल पर लगभग 170 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से 130 बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण आरक्षित वन ~~...~~ कक्षों से गुजरने/में स्थित है। इन कक्षों की वर्तमान वन आच्छादन ~~...~~ है एवं इन कक्षों में ~~...~~ प्रजाति के वन हैं। प्रभावित होने वाली नाप भूमि 0.651 पर विभिन्न प्रजाति के वन हैं एवं प्रभावित होने वाली सिविल तथा नाप भूमि पर विभिन्न प्रजाति के वन हैं जिनका वर्तमान वन आच्छादन ~~...~~ है। चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान 79°15'631"E, 30°11'389"N है तथा यह स्थल पूर्व निर्मित मार्ग ग्राम खण्डूडा से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल बनियास है जिसका GPS मान 79°15'353"E, 30°10'662"N है। चुने गये समरेखण/स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान 79°15'512"E, 30°11'304"N, 79°15'412"E, 30°11'226"N, 79°15'372"E, 30°11'150"N, 79°15'350"E, 30°11'033"N, 79°15'325"E, 30°10'931"N, 79°15'353"E, 30°10'612"N, चयनित समरेखन में कुल 142 पौधों को अन्य स्थानन्तरित (translocate) किया जाना आवश्यक होगा।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा है/ नहीं है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन होगा / नहीं होगा।

इस समरेखण पर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु संलग्न योजनानुसार स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान 79°15'36.75"E, 30°11'21.64"N, 79°15'24.69"E, 30°11'13.14"N, 79°15'18.91"E, 30°11'0.49"N, 79°15'17.84"E, 30°10'43.66"N

अन्य आवश्यक विवरण

हस्ताक्षर (प्रयोक्ता एजेन्सी) प्रतिनिधि
हस्ताक्षर (वन विभाग) प्रतिनिधि
हस्ताक्षर (राजस्व विभाग) प्रतिनिधि
हस्ताक्षर (अन्य दावेदार) प्रतिनिधि
हस्ताक्षर (जन प्रतिनिधि) प्रतिनिधि

महान ग्राम पंचायत मारकोस
दि 15/10/09
विभागाध्यक्ष कर्णप्रयाग नर्मदा

महान ग्राम पंचायत मारकोस
विभागाध्यक्ष कर्णप्रयाग नर्मदा

(214) 30
Performa for comparison between identified alignments

Name of work- Construction of Baniyas Motor road from Simili- Chulakot motor road in km 11.

Sl.N	Variables	Alignment No-1	Alignment No-2																																																																																		
1	2	3	4																																																																																		
1	Topography	start from Simli Chulakot Motor Road in K.M. 11.00	start from Simli Chulakot Motor Road in K.M. 11.00																																																																																		
2	Length of Road	3.00 Km	3.00 Km																																																																																		
3	Bridging requirement No. and Length	Nil	Nil																																																																																		
4	Geometric																																																																																				
	(a) Gradients	1:20 1:24	1:15 1:20																																																																																		
	(b) Curves, H.P Bends	No HP Bands	No HP Bands																																																																																		
5	Existing Means of communication, mule path, jeep, Tracks etc.	Mule Path & Foot Tracks	Mule Path & Foot Tracks																																																																																		
6	Right of way, bringing out. construction on account of built up areas, monuments and other structures.	Right of way is available for carrying out the construction work. There are no built up area, monuments of other important structures along this alignment.	Right of way is available for carrying out the construction work. There are no built up area, monuments of other important structures along this alignment.																																																																																		
7	Terrain & Soil Condition																																																																																				
	(i) Nature of soil	(i) The terrain is hilly and the soil is a mix of Earth and Boulders, Soft Roack, Hard Rock & Very Hard Rock	(i) The terrain is hilly and the soil is a mix of Earth and Boulders, Soft Roack, Hard Rock & Very Hard Rock																																																																																		
	(ii) Cliffs and gorges.	(ii) None	(ii) None																																																																																		
	(iii) Drainage characteristics of the area including supceptibility to flooding	(iii) The Natural Drainage characteristics of the area is good and there is no susceptiblity to flooding	(iii) The Natural Drainage characteristics of the area is good and there is no susceptiblity to flooding																																																																																		
	(vi) General elevation of the road indicating maximum and minimum height negotiated by main ascends and discends	(iv) The elevation at the starting point of the road is 1574 m and the elevation at the end point of the road is 1400 m.	(iv) The elevation at the starting point of the road is 1600 m and the elevation at the end point of the road is 1450 m.																																																																																		
	(v) Variations extants and types	Nil	Nil																																																																																		
8	Climate Condition																																																																																				
	(a) Temperature Monthly max. & min. reading.	(a) Temperature Monthly max. & Min.	(a) Temperature Monthly max. & Min.																																																																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Month</th> <th colspan="2">Temperature (in °C)</th> <th rowspan="2">Month</th> <th colspan="2">Temperature (in °C)</th> </tr> <tr> <th>Max.</th> <th>Min.</th> <th>Max.</th> <th>Min.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>January</td><td>10</td><td>-1</td><td>January</td><td>10</td><td>-1</td></tr> <tr><td>February</td><td>12</td><td>5</td><td>February</td><td>12</td><td>5</td></tr> <tr><td>March</td><td>20</td><td>14</td><td>March</td><td>20</td><td>14</td></tr> <tr><td>April</td><td>25</td><td>18</td><td>April</td><td>25</td><td>18</td></tr> <tr><td>May</td><td>32</td><td>20</td><td>May</td><td>32</td><td>20</td></tr> <tr><td>June</td><td>35</td><td>24</td><td>June</td><td>35</td><td>24</td></tr> <tr><td>July</td><td>34</td><td>19</td><td>July</td><td>34</td><td>19</td></tr> <tr><td>August</td><td>28</td><td>17</td><td>August</td><td>28</td><td>17</td></tr> <tr><td>September</td><td>28</td><td>13</td><td>September</td><td>28</td><td>13</td></tr> <tr><td>October</td><td>16</td><td>9</td><td>October</td><td>16</td><td>9</td></tr> <tr><td>November</td><td>15</td><td>8</td><td>November</td><td>15</td><td>8</td></tr> <tr><td>December</td><td>11</td><td>-1</td><td>December</td><td>11</td><td>-1</td></tr> </tbody> </table>	Month	Temperature (in °C)		Month	Temperature (in °C)		Max.	Min.	Max.	Min.	January	10	-1	January	10	-1	February	12	5	February	12	5	March	20	14	March	20	14	April	25	18	April	25	18	May	32	20	May	32	20	June	35	24	June	35	24	July	34	19	July	34	19	August	28	17	August	28	17	September	28	13	September	28	13	October	16	9	October	16	9	November	15	8	November	15	8	December	11	-1	December	11	-1	
Month	Temperature (in °C)			Month	Temperature (in °C)																																																																																
	Max.	Min.	Max.		Min.																																																																																
January	10	-1	January	10	-1																																																																																
February	12	5	February	12	5																																																																																
March	20	14	March	20	14																																																																																
April	25	18	April	25	18																																																																																
May	32	20	May	32	20																																																																																
June	35	24	June	35	24																																																																																
July	34	19	July	34	19																																																																																
August	28	17	August	28	17																																																																																
September	28	13	September	28	13																																																																																
October	16	9	October	16	9																																																																																
November	15	8	November	15	8																																																																																
December	11	-1	December	11	-1																																																																																
	(b) Rainfall data average annual peak intensities monthly distribution (to the extent available)	(b) Rainfall data average annual peak intensities monthly distribution	(b) Rainfall data average annual peak intensities monthly distribution																																																																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Month</th> <th>Average Rainfall data (in mm)</th> <th>Month</th> <th>Average Rainfall data (in mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Month	Average Rainfall data (in mm)	Month	Average Rainfall data (in mm)																																																																															
Month	Average Rainfall data (in mm)	Month	Average Rainfall data (in mm)																																																																																		

(31)

Name of work- Construction of Baniyas Motor road from Simili- Chulakot motor road in km 11.

SI.N	Variables	Alignment No-1	Alignment No-2
		January	50
		February	33
		March	28
		April	25
		May	20
		June	161
		July	350
		August	305
		September	210
		October	90
		November	7
		December	40
	(c) Snowfall data average annual peak intensities monthly distribution (to the extent available)	(c) Snowfall fall data average annual peak intensities monthly distribution	(c) Snowfall fall data average annua peak intensities monthly distribution
		Month	Average Snowfall
		January	70
		February	30
		March	-
		April	-
		May	-
		June	-
		July	-
		August	-
		September	-
		October	-
		November	30
		December	70
	(d) Wind direction and velocities.	(d) Towards north – east @ 20 km / h	(d) Towards north – east @ 20 km / h
	(e) Fog Condition	(e) Nil	(e) Nil
	(f) Exposure to sun	(f) The site is exposed to sun throughout the year.	(f) The site is exposed to sun throughout the year. Except 2 to 3 Months.
	(g) Unusual weather condition like cloud burst etc	(g) There is no record of unusual weather condition like cloud burst in the area where the site is located.	(g) There is no record of unusual weather condition like cloud burst in the area where the site is located.
9	Facilities resources.		
	(a) Landing ground.	(a) None	(a) None
	(b) Dropping Zone.	(b) At site	(b)Atsite
	(c) Food stuffs.	(c) Lehsoun, Dhan, Ghehun, Aloo, Green Vegetable, Onion etc	(c) Lehsoun, Dhan, Ghehun, Aloo, Green Vegetable, Onion etc
	(d) Labour local availability and need for import.	(d) Local labour is available for costruction work.	(d) Local labour is available for costruction work.
	(e) Construction material (Timber, Bamboo, Sand, Stone, Shingle etc. extent of their availability and lead involved	(e) Stone require for the costruction work shall be made available locally as it shall be obtained from hill side cutting, However, Sand required for the construction work shall be procured from the approved quarry.	(e) Stone require for the costruction work shall be made available locally as it shall be obtained from hill side cutting, However, Sand required for the construction work shall be procured from the approved quarry.
10	Value of land, agricultural land, Irrigated land, bult up land, forest land etc,	Value of the land required for the construction of the road in this alignment is as under- As per current Govt. Rate	Value of the land required for the construction of the road in this alignment is as under- As per current Govt. Rate


323

Name of work- Construction of Baniyas Motor road from Simili- Chulakot motor road in km 11.

Sl.N	Variables	Alignment No-1	Alignment No-2
11	Approximate Const. Cost.	Rs.81.24 Lacs	Rs. 90.00Lacs
12	Access point indicating possibility of induction of equipment.	Access point available for induction of equipment	Access point available for induction of equipment
13	Period required for construction.	12 Months	15 Months
14	Strategic Consideration.	Deployment of skilled manpower and efficient equipment/ Machinery shall be made for completion of the project.	Deployment of skilled manpower and efficient equipment/ Machinery shall be made for completion of the project.
15	Important villages, towns and markets centers to be connected.	The road shall provide connectivity to village Baniyas with a population of numbers.	The road shall provide connectivity to village Baniyas with a population of numbers.
16	Recreational potential.	Nil	Nil
17	Economic Factors:		
	(a) Population served by the alignment.	(a) 1151	(a) 1151
	(b) Agricultures and economic potential of the area.	(b) Transporation lof the cultivated crops by mechanical means (i.e. through road) shall enhance the economical condition of the people residing in this area. Potential of the development of animal husbandry.	(b) Transporation lof the cultivated crops by mechanical means (i.e. through road) shall enhance the economical condition of the people residing in this area. Potential of the development of animal husbandry.
18	other major development projects being taken up electric projects etc.	None	None
19	(i) Misc. Such as camping sites	(i) Nil	(i) Nil
	(ii) Law and other problem	(ii) There is no significant law and order problem in the area and the loacl administration takes care of such matters.	(ii) There is no significant law and order problem in the area and the loacl administration takes care of such matters.
	(iii) Royalty	(iii) Royalty is paid to the Revenue Department.	(iii) Royalty is paid to the Revenue Department.
	(iv) Availability of contractors for collection and carriage of construction material	(iv) Available	(iv) Available
	(v) working period available for construction of work.	(v) 09 Months	(v) 07 Months
20	Total No. of Trees to be removed .	142	170
21	Average Density of forest cover .	-	-
22	Total No. of Merits	14	9
23	Total No. of Demerits	5	5


Recommondations:-

Alignment no.(1) recommended for approval being more economical, useful & technically feasible.




J.E.

P.D.P.W.D. Karanprayag



A.E.

P.D.P.W.D. Karanprayag



E.E.


P.D.P.W.D. Karanprayag


परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी 0 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।


अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का


प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा याचित 1.44 हे० वन भूमि की मांग न्यूनतम है इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।



अमान
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग



कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि. कर्णप्रयाग



सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि. कर्णप्रयाग



अधिशोषी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग



पटवारी क्षेत्र



तहसीलदार
कर्णप्रयाग


उपजिलाधिकारी
वन विभाग
कर्णप्रयाग


3-10-09
वन द्रोणा


वन क्षेत्राधिकारी
पुर्विक्रम क्षेत्राधिकारी
नारायणबाग


प्रभागीय वन अधिकारी
ब्रह्मनाथ वन विभाग
बोपेश्वर (चमोली)


जिला अधिकारी
चमोली


(२०)


लैन्ड शेड्यूल

कार्य का नाम:- जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अर्न्तगत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के कि.मी. 11 से ग्राम बणियास तक मोटर मार्ग का निर्माण।


सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि का लैन्ड शेड्यूल के लिये (राजस्व विभाग)/ जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र


जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं०	कुल रकवा	याचित क्षेत्रफल (हे०)
चमोली	चमोली	ग्राम-खण्डुडा	5	7.961	0.325
		ग्राम -बणियास	12	3.736	0.212
		ग्राम-घण्डियाल	16	6.878	0.716
		ग्राम-ऐरवाडी	2	8.199	0.196
		योग:-			1.449 हे.



अर्मान
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग



कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.


सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.


अधिशोसी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


पटवारी क्षेत्र


तहसीलदार


उपजिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी
कर्णप्रयाग


जिलाधिकारी
जिला अधिकारी
चमोली

(89) (62)





सिविल ग्राम के प्रस्ताव ,

कार्य का नाम - जनपद चमोली में सिविल - चूलासोट मोटर मार्ग के कि० मी० ३३ से ग्राम - वाणियास तक मोटर मार्ग
 निर्माण हेतु वन्य भूमि हस्तान्तरण
 ग्राम - खण्डडा, परगना - चान्दपुर तहसील - कठप्रियाग, जिला - चमोली ,


क्र.सं.	खसरा नं०	खिख रकवा	खिया रकवा	खता नं०	नाम अधिकार	गैर खुरवा		विवरण
						कटाजि	रकवा	
1	9915	0.023	0.007	10	ड० रा० ख०	खता	0.007	
2	12335	0.201	0.046	6	— " —	खतर	0.046	
3	15962	3.419	0.090	5	— " —	गँवर	0.090	
4	16105	4.307	0.151 0.118	5	— " —	— " —	0.151 0.118	
5	16355	0.118	0.084	5	— " —	— " —	0.084	


योग - 0.418 ई.
0.325 ई


0.325 ई

 अनंद कुमार
 को० मि० वि० कठप्रियाग
 कमिष्ठ अभियन्ता
 को० मि० वि० कठप्रियाग
 सहायक अभियन्ता
 को० मि० वि० कठप्रियाग
 अधिवासी अभियन्ता
 को० मि० वि० कठप्रियाग


 पटवारी


 तहसीलदार
 कठप्रियाग


 उप जिलाधिकारी
 कठप्रियाग

सिविल भूमि के प्रस्ताव.

(63)

कार्य का नाम - जनपद चमोली में सिविल - ब्रूलाफोट मोटर मार्ग के कि०मी० 11 से ग्राम- बाढियास तक मोटर मार्ग





निर्माण हेतु सिविल वन भूमि हस्तान्तरण,

ग्राम- बाढियास परगना- चान्दपुर, तहसील- काप्रियाग जिला- चमोली.

क्र.सं.	खसरा नं०	क्षेत्र रकबा	जिगा रकबा	खता नं०	नाम भूमिदार	गेर खजुरवा		विवरण
						कराजि	रकबा	
1	852A	0.413	0.013 0.012	71	ड० श० स.	बंजर	0.012 0.013	
2	898A	0.068	0.004	67	— 11 —	शैली	0.004	
3	900A	0.025	0.006	71	— 11 —	बंजर	0.006	
4	902A	0.015	0.003	71	— 11 —	— 11 —	0.003	
5	903A	0.118	0.007	67	— 11 —	शैली	0.007	
6	934A	0.034	0.008	71	— 11 —	बंजर	0.008	
7	936A	0.056	0.016	71	— 11 —	— 11 —	0.016	
8	937A	0.395	0.068	71	— 11 —	— 11 —	0.068	
9	938	0.018	0.014	71	— 11 —	— 11 —	0.014	
10	1024A	2.491	0.085	71	— 11 —	— 11 —	0.085	
11	116A	-	0.005	67	— 11 —	शैली	0.005	
12	151A	0.103	0.004	67	— 11 —	— 11 —	0.004	

योग - 0.273 हे०
0.212 हे०


0.212 हे०







उप-डिविजनाल अधिकारी
 को० वि० वि० काप्रियाग
 काप्रियाग

सहायक उप-डिविजनाल अधिकारी
 को० वि० वि० काप्रियाग
 काप्रियाग

उप-डिविजनाल अधिकारी
 को० वि० वि० काप्रियाग
 काप्रियाग


 पटवारी
 तहसीलदार
 काप्रियाग


 उप-जिलाधिकारी
 काप्रियाग

91 64

सिंचन भूमि के प्रस्ताव

कार्य का नाम - जनपद - नमोली में सिंचनी - बुलाकोट मोटर मार्ग के प्रायः 16 ग्राम वणियास तक मोटर

मार्ग निर्माण हेतु सिंचन कर्म भूमि हस्तान्तरण ,

ग्राम - धाड़िमाल परगना - चाम्पुर, तहसील - कवप्रियाग जिला - नमोली,

क्र.सं.	खसरा नं०	कुल रकबा	विघा रकबा	खसरा नं०	नाम - धर्मिदार	गैर अजुबा		विवरण
						कमराज	रकबा	
1	20503	0.910	0.080	17	उ० श० सं.	कंजर	0.000	
2	20513	0.221	0.009	18	— " —	शेबीकंजर	0.009	
3	20523	0.389	0.020	17	— " —	कंजर	0.020	
4	20843	0.394	0.035	17	— " —	— " —	0.035	
5	20883	0.456	0.035	17	— " —	— " —	0.035	
6	21303	0.089	0.005	17	— " —	— " —	0.005	
7	21613	0.094	0.003	17	— " —	— " —	0.003	
8	22053	—	0.230	—	— " —	—	0.230	
9	22063	0.525	0.045	—	— " —	—	0.045	
10	22583	1.122	0.188	17	— " —	कंजर	0.188	
11	22593	0.060	0.028	17	— " —	— " —	0.028	
12	22623	0.080	0.009	18	— " —	शेबी	0.009	
13	22643	0.040	0.020	17	— " —	कंजर	0.020	
14	22803	0.319	0.030	17	— " —	— " —	0.030	
15	22833	0.914	0.064	17	— " —	— " —	0.064	
16	26153	0.834	0.018	15	— " —	कंजर	0.018	

योग - 0.9203
0.7168

0.9203
0.7168

अधीक्षक
जो.सि.वि.क
कवप्रियाग

अधीक्षक
जो.सि.वि.क कवप्रियाग

अधीक्षक
जो.सि.वि.क कवप्रियाग

सहायक अधीक्षक
जो.सि.वि.क कवप्रियाग

पर्यवेक्षक

तहसील
कवप्रियाग

उपजिलाधिकारी
जो.सि.वि.क कवप्रियाग

(92) (65)


सिविल श्रम के प्रस्ताव .


कार्य का नाम - जनपद - चमोली में सिमली - बूनाकोट मोटर मार्ग के कि० प्री० ५५ से ग्राम बठियास तक मोटर निर्माण हेतु सिविल श्रम हस्तान्तरण .


ग्राम - खेरवाड़ी परजना - चान्दपुर तहसील - कण्ठियाग जिला - चमोली .


क्र.सं.	खसरा नं०	फैल रकत	विघा रकत	खता नं०	नाम श्रमिधर	जर कुसुखा		विवरण .	
						म.श.प्रि	रकत		
1	1223	3.821	0.185	5	उ० श० स०	चयन	0.185		
2	3103	4.378	0.091	5	— " —	— " —	0.091		
							0.196 हे०		


योग - 0.252 हे०
0.196 हे०



अभिनि
खे० मि० वि०
कण्ठियाग



कनिष्ठ अभियन्ता
खे० मि० वि० कण्ठियाग


सहायक अभियन्ता
खे० मि० वि० कण्ठियाग


अधीक्षक अभियन्ता
खे० मि० वि० कण्ठियाग


पन्नायी


तहसीलदार
कण्ठियाग


उप-निर्देशिका
कण्ठियाग


परियोजना का नाम:— जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अर्न्तगत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के कि.मी. 11 से ग्राम बणियास तक मोटर मार्ग का निर्माण।


परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का प्रमाण-पत्र।


प्रस्तावित सिविल भूमि की लम्बाई 2070 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर कुल 14490


वर्ग मीटर अर्थात 1.449 हे० है।

भूमि का प्रकार	लम्बाई	चौड़ाई	हैक्टेयर
नाप भूमि	930मी.	7 मी.	0.651 हे.
सिविल भूमि	2070 मी.	7 मी.	1.449 हे.
कुल योग-			2.100 है.


अमीन
लो.नि.वि.



कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

बार चार्ट

कार्य का नाम : जनपद चमोली में सिविली ब्लॉककोड मोडरनाई के क्रिमी 11 से ग्राम-बाणियास तक मोडरनाई मार्ग निर्धारण



N	S
नाप शास	सिविली शास

संकेत

(Signature)
आमन

भारतीय नगरपालिका
सहायक नगरपालिका
नापखण्ड (असोजी)

(Signature)
सहायक अभियन्ता
नगरपालिका

(Signature)
आवारा अभियन्ता
नगरपालिका

(35)

(2.8)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना:-

- 1- परियोजना का नाम:- सिमली चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी 11 से बनियास तक मोटर मार्ग का निर्माण
- 2- वृक्षारोपण स्थल का नाम :-
- 3- क्षेत्रफल :- 1.449 है० X 2 = 2.898 है०
- 4- रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या:- 5796
- 5- रोपित किये जाने वाली प्रजातियां:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
(1)	प्रथम वर्ष अग्रिम मृदा कार्य:-				
1	सर्वे एवं सीमांकन	2.898		78.00	226.00
2	स्थल की सफाई कार्य	2.898		2543.00	7369.61
3	दीवालबन्दी कार्य/फैन्सिंग (150 मी०प्र०है० = 81 घ०मी०)	2.898		15309.00	44365.48
4	गढढा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45) रेंखाकन चूना सहित	5796		5.09	29501.64
5	डी०ए०पी० खाद की लागत 25 ग्राम प्रति गढढा	5796		19.00	2753.10
6	पौध की कीमत (प्रथम वर्ष)	5796		4.30	24922.80
7	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य				
	1- वानस्पतिक चैकडैम :-	8x4580 = 36700.00	2.898	6240.00	18083.52
	2- स्टोन चैकडैम :-	5x5140 = 25700.00			
	योग:-	62400.00			127222.15
8	निरीक्षण बटिया बनाना:-	2.898		624.00	1808.35
	योग प्रथम चरण:-				129030.50
(2)	द्वितीय वर्ष रोपण कार्य:-				
1	झाडी कटान (लैण्टाना गाजर घास/काला बांस)	2.898		1287.00	3729.72
2	गढढा भरान कार्य डी०ए०पी० मिलाने सहित	5796		0.97	5622.12
3	पौध दुलान कार्य	5796		6.00	34776.00
4	पौध रोपण कार्य	5796		1.89	10954.44
5	पौधों की प्रथम निराई गुडाई मलचिंग कार्य	5796		1.29	7476.84
6	पौधों की द्वितीय निराई गुडाई मलचिंग कार्य	5796		1.11	6433.56
7	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष	5796		1.20	6955.20
8	वाचर (चौकीदार प्रथम वर्ष रोपण वर्ष) 7 माह	2.898		468.00	9493.84
9	साईन बोर्ड आदि क्रय	L.S		L.S	5000
	योग द्वितीय चरण:-				96441.72
	कुल योग प्रथम एवं द्वितीय वर्ष चरण:-				219472.22

(219)

(37)

क्र० सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
1	2	3	4	5	6
(3)	तृतीय वर्ष 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (वीटिंग अप) प्रति है०:-				
1	पौधों की लागत	580		5.50	3190.00
2	पौध दुलान कार्य	580		6.00	3480.00
3	पुनः गढढा खोदना एवं रोपण कार्य	580		3.20	1856.00
4	गढढों में गोबर खाद डालना लागत सहित	580		1.33	771.40
5	पौधों की शीतकालीन मलचिंग	580		1.11	643.80
6	वनीकरण चौकीदारी (12 माह) 1 वर्ष	2.898		468.00	16275.16
7	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य			L.S	500.00
	योग तृतीय चरण:-				26716.36
	चतुर्थ चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	2.898		468.00	16275.00
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य			L.S	500.00
	योग चतुर्थ चरण:-				16775.00
	पंचम चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	2.898		468.00	16275.00
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य			L.S	500.00
	योग पंचम चरण:-				16775.00
	षष्ठम चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	2.898		468.00	16275.00
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य			L.S	500.00
	योग षष्ठम चरण:-				16775.00
	सप्तम चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	2.898		468.00	16275.00
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य			L.S	500.00
	योग सप्तम चरण:-				16775.00
	अष्टम चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	2.898		468.00	16275.00
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य			L.S	500.00
	योग अष्टम चरण:-				16775.00
	नवम चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	2.898		468.00	16275.00
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य			L.S	500.00
	योग नवम चरण:-				16775.00
	दसम चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदारी का पारिश्रमिक (12 माह)	2.898		468.00	16275.00
2	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य			L.S	500.00
	योग दसम चरण:-				16775.00
	कुल योग तृतीय चरण से दसम चरण तक:-				144141.36
	महायोग:-				363613.58

प्रभाजीय वन अधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
पोपेश्वर (सीसी)


ई०, प्र०/मा० वि० अनुमान
बद्रीनाथ वन प्रभाग, पोपेश्वर


C. H. 363613.58
रु०...के लिए जांच किया


परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अर्न्तगत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के कि.मी. 11 से ग्राम बणियास तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु बन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग वन भूमि हस्तान्तरण के लिए ग्राम खण्डूडा, ग्राम- तलाई, ग्राम-सलियाण तल्ला व मल्ला, ग्राम बांगछी, ग्राम-नैल व ग्राम कोल्सों के अर्न्तगत जो सिविल भूमि वृक्षारोपण हेतु चयनित की गयी है वह क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग



कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.



सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.



अधिशारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग



पटवारी क्षेत्र

तहसीलदार


उपजिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी
कर्णप्रयाग


3-10-09
संतोष कुमार
वन दफ्तर



वन क्षेत्र अधिकारी
वन क्षेत्री कर्णप्रयाग
नारायणबग



उप वन संरक्षक,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर (चमोली)
गोपेश्वर (चमोली)


परियोजना का नाम:— जनपद चमोली में विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी 0 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।


दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु 1.449 हे० वन भूमि के प्रत्यावर्तन के एवज में दुगने अवनत वन क्षेत्र अर्थात् 2.400 हे० में देय क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार लो०नि०वि० द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।


अमाम
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि. कर्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि. कर्णप्रयाग


अधिशोषी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

रिक्त पड़े स्थान पर वृक्षारोपण प्राक्कलन

कार्य का नाम :- जनपद-चमोली के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के कि०मी०-11 से ग्राम बाणियास तक निर्माण हेतु 1.449 है० के अन्तर्गत रिक्त पड़े स्थान पर वृक्षारोपण का प्राक्कलन।

स्थल का नाम	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित है. से किमी.	प्रस्तावित रोपण कार्य का विवरण	दर प्रति किमी. लाख में	धनराशि
1	2	3	4	5
सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के अन्तर्गत रिक्त पड़े स्थान में वृक्षारोपण कार्य	3.00 किमी०	पौध का मूल्य 100 पौध रोपण कार्य ट्री गार्ड का डुलान मूल्य एवं तीन वर्षों तक अनुरक्षण	1.00 लाख प्रति रो. किमी०	3,00,000.00 6 लाख

ई०,प्र०/मा०वि०अनुभाग
ब्रह्मनाथ व०प्र०,गोपेश्वर


(संतोष कुमार)
वन द्योब
वन क्षेत्र अधिकारी
पश्चिमी विण्डर राक्षि.
भारतखण्ड


प्रभाकर तलाधिकारी
ब्रह्मनाथ वन भाग
गोपेश्वर (चमोली)

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी 0 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।


रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वॉछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।


अमान
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठा अभियन्ता
लो.नि.वि. कर्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि. कर्णप्रयाग


अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कार्यालय उप वन संरक्षक,
संख्या- / दिनांक: , 200.


वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र


जनपद खिमली - ब्लॉक मोराबारा के निर्माण हेतु 1.449 हे० वन भूमि का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान पातन होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :-
दि 3-10-2009

क्र० सं०	ब्लॉक	प्रजाति	व्यास वर्ग								योग	
			10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90		90 से अधिक
1	खिमली	खडीक	-	-	-	02	-	-	-	-	-	02
		काफर	-	-	-	01	-	-	-	-	-	01
		शिमर	-	-	-	-	01	-	-	-	-	01
		कोड	-	-	02	01	-	-	-	-	-	03
		महेल	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01
		योग:-		01	02	04	01	-	-	-	-	08
2	खड्डा	कुन	01	-	01	01	01	-	-	-	-	04
		शिमर	-	02	01	02	-	-	-	-	-	05
		कोड	-	-	01	01	-	-	-	-	-	02
3	खड्डा	कोड	-	-	01	01	-	-	-	-	-	04
		शिमर	01	02	01	-	-	-	-	-	-	04
		योग:-	02	04	04	04	01	-	-	-	-	15
		महायोग	02	05	06	08	02	-	-	-	-	23

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।


सहायक प्रजाधिकारी
वन विभाग
नारायणपुर


3-10-09
सहायक प्रजाधिकारी
वन विभाग


सहायक प्रजाधिकारी
वन विभाग
प्रभागीय प्रजाधिकारी


बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र


जनपद-खिमती चरवांकोटे मालवा वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु मेरे द्वारा दिनांक 3.10.09 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बांज वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :-

क्र० सं०	ब्लाक	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	
1	कनिपसि नाथ	बांज	07	04	03	01	-	-	-	-	-	15
2	रकड्डा गिरवां	बांज	11	10	04	01	-	-	-	-	-	26
3	घाटिया शिरवां	बांज	40	25	07	04	02	-	-	-	-	78
			58	39	14	06	02	-	-	-	-	119

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है। क्योंकि मार्ग निर्माण हेतु अन्य वैकल्पिक समरेखण उपयुक्त नहीं पाया गया। मार्ग दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्र की जनता के लिए अति महत्वपूर्ण है। अतः मार्ग निर्माण हेतु बांज वृक्षों के पातन की संस्तुति की जाती है। उक्त वृक्षों का पातन वन विकास निगम के द्वारा वन विभाग के शैड्यूल रेट पर नियमानुसार देय बिक्री कर अदा करने पर किया जायेगा।


वन विभागाधिकारी
परिवर्तनी विण्डर राजि,
वन क्षेत्राधिकारी


09/10/09
3-10-09
वन क्षेत्राधिकारी
वन हरीज



प्रभासीय वनाधिकारी
प्रभासीय वनाधिकारी
सोपेश्वर (प्रभासी)


वन संरक्षक

परियोजना का नाम:—जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अर्न्तगत
सिमली—चूलाकोट मोटर मार्ग के कि.मी.11 से बनियास
तक मोटर मार्ग का विस्तार (लम्बाई 3.00 कि.मी.)

न्यूनतम वृक्षों के पातन का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ~~प्रस्तावित~~^{max} जनपद चमोली के विकास
खण्ड कर्णप्रयाग के अर्न्तगत सिमली—चूलाकोट मोटर मार्ग के कि.मी. 11 से
बनियास तक मोटर मार्ग का निर्माण(लम्बाई 3.00 कि.मी.)मोटर मार्ग निर्माण कार्य
के समय समरेखण में आने वाले वृक्षों को बचाते हुये कम से कम वृक्षों का पातन
किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


अधिशारी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.,
कर्णप्रयाग।

MUCK DISPOSAL PLAN

Name of the Work :- जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अर्न्तगत सिमली चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी 0 11 से बनियास तक मोटर मार्ग का निर्माण।

Material Received Due to Hill side Cutting 7x3/2x3000.00 = 31500.00 Cum
 Add Swell Factor @ 40% = 12600.00 Cum
Total = 44100.00 Cum

Use of Material -


Sl. No.	Length of Road	Item for Which Material is to be used	Quantity of Material Consumed (In Cum)
1	2	3	4
1	3.00	Stone Masonry in cement sand mortar	130.56
2	3.00	Stone Masonry laid Dry	1240.41
3	3.00	Hand Packed Stone Filling	602.49
4	3.00	Construction of Wire Crates	143.61
5	3.00	Construction of Parapets	163.41
6	3.00	Construction of Road Side Drain	78.87
7	3.00	Construction of Scuppers	1079.82
8	3.00	Concreting Works	63.90
9	3.00	Construction of Cooli Walling	198.00
10	3.00	Construction of Edge Stone	10.50
11	3.00	Construction of Causeway	810.00
12	3.00	Granular Sub-Base (GSB)	1996.86
13	3.00	GSB (Grading-2) Works	2376.84
14	3.00	G3 (Grading to be done using granulator at site)	998.40
15	3.00	Super Elevation and Patri Filling	2450.57
		Total	12344.24


Material Left for Disposal

= (44100.00-12344.24) Cum
 = 31755.76 Cum

As per the attached Detail, the capacity of the Dumping Zone

= 32775.00 Cum


 Assistant Engineer
 Provincial Division, PWD
 Karanprayag


 Executive Engineer
 Provincial Division, PWD
 Karanprayag

mark
 J.E

Detail of Muck Disposal Sites

Name of the Work :-

जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी 0 11 से बनियास तक मोटर मार्ग का निर्माण।


Sl. No.	Location of Dumping Yard	Type of Land	Khasra No.	Length (In m)	Width (In m)	Height of the Dumping Zone (In m)	Volume of the Dumping Zone (In Cum)	Longitude (E)	Latitude (N)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	xs 0/2 to 0/4	Nap Land	1225-1232	65.00	25.00	3.00	4875.00	79°15'36.57"	30°11'21.64"
2	xs 0/19 to 0/21	Nap Land	1222-1226	70.00	30.00	4.50	9450.00	79°15'24.69"	30°11'13.14"
3	xs 1/2 to 1/4	Nap Land	1091-1102	70.00	30.00	4.50	9450.00	79°15'18'91"	30°11'0.49"
4	xs 1/30 to 1/32	Nap Land	1289-2105	60.00	30.00	5.00	9000.00	79°15'17.84"	30°10'43.62"
						Total	32775.00	CUM	

mak
Junior Engineer
Provincial Division, PWD
Karanprayag

[Signature]
Assistant Engineer
Provincial Division, PWD
Karanprayag

[Signature]
Executive Engineer
Provincial Division, PWD
Karanprayag

कार्य का नाम - जनपद चमौली के विकास खण्ड का प्रभाग के अन्तर्गत
सिमली चुराकोट मोटर मार्ग के 1.11 से बजिगाह
तक मोटर मार्ग का निर्माण



TYPICAL X-SECTION OF MUCK DISPOSAL PLAN

MAK
J.E

done
A.E

E.E

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के कर्णप्रयाग ब्लॉक के अर्न्तगत सिमली चूलाकोट
मोटर मार्ग के स्थिति ॥ से चक्रियाल तब मोटर मार्ग जो भूमि निर्माण/मक
 डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गयी है, उस प्रयोजना हेतु भूमि ली जाती है तो मार्ग हित में
 मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सरकारी दरों पर अपनी भूमि देने को तैयार हूँ।

भवदीय

सुदर्शन प्रसाद, कागेन्द्र प्रसाद
विनोद कुमार S/O बन्नीप्रसाद
सावित्री देवी पत्नी बन्नीप्रसाद

का 10 सेक्शन 0/2 ± 0.0/4 पर प्रस्तावित मकडिस्पोजल हेतु नाप भूमिधर सुदर्शन प्रसाद, कागेन्द्र प्रसाद
विनोद प्रसाद S/O बन्नीप्रसाद ग्राम रवभूरा प 0 वृ 0 चापली जिला चमोली
 तहसील कर्णप्रयाग के नाम की निम्न भूमि प्रस्तावित है।

कं० सं०	खाता नं०	खसरा नं०	भूमि क्षे०(हे०)
		1225	0.029
		1226	0.033
		1227	0.018
		1228	0.013
		1229	0.024
		1230	0.010
		1231	0.015
		1232	0.034

योग 0.176 हे०

210 340 नि०
आपकी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के कर्णप्रयाग ब्लॉक के अन्तर्गत सिमली बुलाकोट मोटर मार्ग के
क्र. 11/11 से क्र. 11/12 तक मोटर मार्ग मोटर मार्ग जो भूमि निर्माण/मक
 डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गयी है, उस प्रयोजना हेतु भूमि ली जाती है तो मार्ग हित में
 मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सरकारी दरों पर अपनी भूमि देने को तैयार हूँ।

भवदीय



उद्य प्रसाद

मोहन प्रसाद s/o इश्वरीदत्त

ग्राम - खण्डपुरा

का 0 सेक्शन 1/1 to 1/2 पर प्रस्तावित मकडिस्पोजल हेतु नाप भूमिधर उद्य प्रसाद मोहन प्र
साद s/o इश्वरीदत्त ग्राम खण्डपुरा प 0 वृ 0 सिमली जिला चमोली
 तहसील कर्णप्रयाग के नाम की निम्न भूमि प्रस्तावित है।

कं 0 सं 0

खाता नं 0

खसरा नं 0

भूमि क्षे 0 (हे 0)

1

24

1622

0.080

1623

0.070

1624


0.1043

1625

0.033

1626

0.050

योग 0.276 हे 0

 रा 0 उप 0 नि 0
 आप 0

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के कर्णप्रयाग ब्लॉक के अन्तर्गत सिमली चलाकोट मो० मार्ग के
~~किमी. ११.१० के कर्णप्रयाग लक्ष्य शोध मार्ग के~~ मोटर मार्ग जो भूमि निर्माण/मक
 डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गयी है, उस प्रयोजना हेतु भूमि ली जाती है तो मार्ग हित में
 मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सरकारी दरों पर अपनी भूमि देने को तैयार हूँ।

भवदीय

मदन लाल
मदनी लाल & वेंडी लाल
ग्राम - कर्णप्रयाग

का० सेक्शन ५ to ५५ पर प्रस्तावित मकडिस्पोजल हेतु नाप भूमिधर मदनी लाल, वेंडी लाल
पु.ल.ग. वेंडी लाल ग्राम कर्णप्रयाग प० वृ० कोठी जिला चमोली
 तहसील कर्णप्रयाग के नाम की निम्न भूमि प्रस्तावित है।

क० सं०	खाता नं०	खसरा नं०	भूमि क्षे०(हे०)
↓		1091	0.034
		1092	0.035
		1093	0.015
		1095	0.040
		1096	0.030
		1101	0.040
		1102	0.025
			<u>0.219</u>

राम उपा० नि०
कोठी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के कर्णप्रयाग ब्लॉक के अर्न्तगत खिकली बलकोर ग्राम की खिकली से वाणियास तक मोटर मार्ग मोटर मार्ग जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गयी है, उस प्रयोजना हेतु भूमि ली जाती है तो मार्ग हित में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सरकारी दरों पर अपनी भूमि देने को तैयार हूँ।

भवदीय श्याम लाल

श्यामलाल पुत्र शिवा लाल
ग्राम - वाणियास

का 10 सेक्शन 1/20 to 1/32 पर प्रस्तावित मकडिस्पोजल हेतु नांप भूमिधर श्यामलाल शिवलाल पुत्र शिवा लाल ग्राम वाणियास खिकली प 0 वृ 0 की जिला चमोली तहसील कर्णप्रयाग के नाम की निम्न भूमि प्रस्तावित है।

क 0 सं 0	खाता नं 0	खसरा नं 0	भूमि क्षेत्र (हे 0)
1		2089	0.006
		2090	0.009
		2091	0.013
		2092	0.018
		2093	0.010
		2094	0.020
		2095	0.008
		2096	0.010
		2097	0.008

0.087

श्याम लाल
210 340 176
की

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के कर्णप्रयाग ब्लॉक के अन्तर्गत रिश्मली युवाकोट मोटरमार्ग
के अि.पी. 11 से ग्राम वाणियास तक मोटरमार्ग मोटर मार्ग जो भूमि निर्माण/मक
 डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गयी है, उस प्रयोजना हेतु भूमि ली जाती है तो मार्ग हित में
 मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सरकारी दरों पर अपनी भूमि देने को तैयार हूँ।

भवदीय

रमेशचन्द्र, दिनेशचन्द्र
अभिषेकचन्द्र
ग्राम- वाणियास टाउंडियाल

का 0 सेक्शन Y30 to Y32 पर प्रस्तावित मकडिस्पोजल हेतु नाप भूमिधर रमेशचन्द्र, दिनेशचन्द्र
पुष्पण भवनचन्द्र ग्राम वाणियास पो वृ 0 कोठी जिला चमोली
टाउंडियाल
 तहसील कर्णप्रयाग के नाम की निम्न भूमि प्रस्तावित है।

कं० सं०	खाता नं०	खसरा नं०	भूमि क्षे०(हे०)
1		2098	0.008
		2099	0.010
		2100	0.005
		2101	0.010
		2102	0.010
		2103	0.010
		2104	0.020
		2105	0.020
			<u>0.093</u>

रिश्मली
 210 340 नि 0
कोठी

कांचिका नाम - जनपद चमौली में विवासरवत केर्णप्रयाग के उत्तरीत
खिमली - बुलाबोट मोटर मार्ग के किमी 0.11 से ग्राम बनिद्यास
तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि अस्तानान्तरण



x-5 1/2 to 1/4



सहायक आंचिकता
कान्तीय खण्ड बो. नि. वि.
२०१०

x-5 1/30 to 1/30


आंचिकता अचिकता
कान्तीय खण्ड बो. नि. वि.
कान्तीय [चमौली]


malik

कांचे का नाम - जनपद चमोली में विद्याखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत
सिमली - चूलाकोट सौरमार्ग के किमी० 11 से ग्राम वनिघास तक
सौरमार्ग निर्माण हेतु वन भूमि श्रतानान्तरण)



MRS
J.E


सहायक अभियन्ता
राज्यीय सड़ लो. नि. वि.
२०१६


अधिशारी अभियन्ता
राज्यीय सड़ लो. नि. वि.
कर्णप्रयाग [चमोली]

परियोजना का नाम:-

(2121)
जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत
सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के कि.मी. 11 से ग्राम
बणियास तक मोटर मार्ग का निर्माण।

राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में विकास खण्ड गौरसैण के अन्तर्गत ग्राम खिनसर में जो सिविल/ वन पंचायती /वन भूमि प्रभावित हो रही है, वह राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। उक्त मार्ग की राष्ट्रीय पार्क से दूरी लगभग 8 कि.मी. से अधिक है।

13/10/09
संतोष गुप्त
वर देवग
जनपद विकास अधिकारी
वन क्षेत्र, पोखरी

उप वन संरक्षक,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर (चमोली)


(2.20)
परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में किकारखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी 0 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली उपरोक्त परियोजना में सिविल/बनपंचायती/
असुरक्षित वन भूमि राष्ट्रीय पार्क/ वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा ~~है~~ नहीं है।

3-10-09
संतोष कुमार
वन हरेजा


वन सहायक
परिचालन विभाग राजि,
किकारखण्ड



प्रभु वन सहायक,
वनीयास वन प्रभाग
गोपधर (चमोली)


(2123)

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग में सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के कि.मी. 11 से बनियास तक मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 3.00 कि.मी.)।

वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र,

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग में सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के कि.मी. 11 से बनियास तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 3.00 कि.मी. हेतु जो वन भूमि प्रस्तावित की गयी है उसके अर्न्तगत कोई भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। अतः उक्त परियोजना के निर्माण में कोई वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन नहीं किया गया है।


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग।


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग।

१। "अनापत्ति प्रस्ताव"

(2.24)

(65)

जनपद चमौली के विकास खण्ड कर्णप्रभाग अन्तर्गत सिमली-चुलाकीर मोटर मार्ग के किमी ॥ से बर्षास तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु जो समीक्षण किया गया है वह उचित है और इस समीक्षण में कम-से कम वन भूमि प्रभावित हो रही है इस समीक्षण के अन्तर्गत हमारी जो भी नाप भूमि प्रभावित होगी उसे हम मार्ग निर्माण हेतु देने के लिए सहमत हैं वामें हमारी कोई आपत्ति नहीं होगी

इशाम लाल

व्यवसायिक/अवधीप

अनूप कुमार

इशाम लाल समस्त ग्रामवासी

Sushresh

अनूप कुमार

Narender Kumar,

Sushresh

विपिन कुमार

अनूप कुमार

कृष्ण लाल

उमेश देव

गायत्री देव

माहेश्वरी देव

सिमला देव

Munna

गायत्री देव

माहेश्वरी देव

सिमला देव


Munna


परियोजना का नाम:-


जंनपद चमोली में विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी 0 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग निमाण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


कनिष्ठा अभियन्ता
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि. कर्णप्रयाग


अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
पवित्री सिन्डर राजि.
वन क्षेत्राधिकारी
नारायणविहार


प्रभाकर
ब्रह्मगीय वनाधिकारी
(नोपश्वर नाला)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1
उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

(भूगर्भीय आख्या)

आख्या संख्या 155/1858/08
जनपद चमोली में सिमली चूलाकोट बैनीताल मार्ग से ग्राम बनियास मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित
समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

अक्टूबर 2008

जनपद चमोली में सिमली चूलाकोट बैनीताल मार्ग से ग्राम बनियास मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1. प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग के अन्तर्गत, 3.00 कि०मी० लम्बाई में सिमली चूलाकोट बैनीताल मार्ग से ग्राम बनियास मोटर मार्ग का नवनिर्माण किया जा रहा है। अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग के अन्तर्गत प्रस्तावित समरेखन का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 15.7.2008 को संबंधित सहायक अभियन्ता श्री वी०एस० पुण्डरी एवं कनिष्ठ अभियन्ता श्री आनन्द गिरी के साथ निरीक्षण किया गया।
2. स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत सिमली चूलाकोट बैनीताल मार्ग से ग्राम बनियास मोटर मार्ग का 3.00 कि०मी० लम्बाई में निर्माण कार्य स्वीकृत है। मार्ग निर्माण हेतु खण्ड द्वारा दो समरेखन बनाये गये हैं। समरेखन संख्या दो के अनुसार मार्ग निर्माण होने वाले गांव के मकानों व गौशालाओं को क्षति होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त स्थानिक ग्रामीणों की समरेखन संख्या एक के लिये ही सहमति है। अतः प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग द्वारा समरेखन संख्या एक के अनुसार मार्ग के निर्माण का प्रस्तावित समरेखन सिमली चूलाकोट बैनीताल मोटर मार्ग के कि०मी० 12 में खण्डड़ा गांव के समीप से खड्ड साईड में आरम्भ होता है तथा प्राईमरी स्कूल बनियारा हात हुए 3 कि०मी० लम्बाई पूर्ण कर सीरी-सलियाणा मोटर मार्ग से लगभग 0.50 कि०मी० पूर्व समाप्त होता है। इस समरेखन में कोई हेयर पिन बैंड नहीं है। अलग-अलग भाग में समरेखन तथा सिविल भूमि से होकर गुजरता है। समरेखन क्षेत्र में क्वार्टजाईट व फिलाईट चट्टानें तथा इनके ऊपर मिट्टी/डेब्री का ओवर बर्डन है। इस क्षेत्र में पहाड़ी ढलान सामान्यतः से 50° तक प्रतीत होता है। स्थल निरीक्षण के दिन समरेखन क्षेत्र में प्रथम दृष्टया अस्थिरता दृष्टिगोचर नहीं हुई।
3. समरेखन क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति, भू-आकृति एवं उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों का ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे हैं, जिन्हें प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मानित किया जाना आवश्यक है।
 - (क) यथासम्भव मार्ग की पूरी चौड़ाई कटान करके प्राप्त की जाये। यह भविष्य में मार्ग की स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहाँ रिटेनिंग दीवार का निर्माण अपरिहार्य हो वहाँ इसका निर्माण फर्म स्ट्रेटा पर समुचित परिकल्पना के आधार पर कराया जाये।
 - (ख) मार्ग के आरम्भ में टेक आफ प्वाइन्ट कम ढलान युक्त स्थिर भूमि में सावधानीपूर्वक बसाया जाये।
 - (ग) समरेखन के समीप स्थित भवनो से सुरक्षित दूरी रखते हुये बिना विस्फोटकों का प्रयोग मार्ग कटान किया जाये जिससे गांव की सम्पत्ति क्षतिग्रस्त न हो।
 - (घ) समरेखन में तीव्र पहाड़ी ढलान वाले भाग को यथासम्भव बचाया जाये, अन्यथा उस भाग में सावधानीपूर्वक मार्ग कटान किया जाये जिससे कोई अस्थिरता उत्पन्न न हो।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग (चमोली)

- (ड) जहाँ मार्ग कटान की ऊँचाई अधिक हो और स्ट्रेटा कमजोर हो, आवश्यक होने पर उस भाग में मार्ग कटान के साथ-साथ समुचित ब्रेस्ट वाल का निर्माण कराया जाये जिससे किसी प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न न हो।
- (च) जहाँ आवश्यक हो, मार्ग से ऊपर व नीचे पहाड़ी ढलान पर समुचित पौधों का रोपण किया जाये, जिससे ढलानों पर भूक्षरण की प्रक्रिया को नियंत्रित रखा जा सके।
- (छ) वर्षा के पानी की समुचित निकासी हेतु रोडसाईड ड्रेन एवं स्कपर का प्रावधान किया जाये यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्कपर के पानी से भूक्षरण न हो।
- (ज) पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिये निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के अन्य मानक एवं विशिष्टियों का भी पालन किया जाये।

4. मार्ग के नवनिर्माण विषयक स्थायित्व-सम्बंधी बिन्दु:-

- (i) मार्ग कटान के पश्चात हिल साईड में जिस स्थान पर over burden material होगा तथा पहाड़ी ढलान slope forming material के angle of repose से अधिक होगा उस भाग में वर्षाकाल में पहाड़ी ढलान के अस्थिर होने की सम्भावना हो सकती है।
- (ii) तीव्र चट्टानी ढलान में blasting किये जाने पर चट्टान के जवाइन्ट्स सक्रिय हो सकते हैं तथा नई दरारें भी उत्पन्न हो सकती हैं, जिनके कारण विपरीत परिस्थितियों में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। अतः जहाँ आवश्यक हो मार्ग कटान में नियंत्रित ब्लास्टिंग की जाये।

5. सिमली चूलाकोट बैनीताल मार्ग से ग्राम बनियास मोटर मार्ग हेतु 3.00 कि०मी० लम्बाई का प्रस्तावित समरेखन वर्तमान परिस्थितियों में उपरोक्त सुझावों के साथ मार्ग निर्माण के लिये उपयुक्त प्रतीत होता है। इस हेतु प्रस्तावित भूमि भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त है।

टिप्पणी:-

- (1) भूमि हस्तान्तरण की दृष्टि से समरेखन क्षेत्र में किये गये निरीक्षण एवं खगड द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्वेक्षण विवरण के आधार पर यह एक जनरलाइज्ड आख्या है। मार्ग कटान के पश्चात् स्थिति में परिवर्तन भी सम्भव है। समरेखन/मार्ग पर किसी विशिष्ट बिन्दु पर यदि सुझाव की आवश्यकता हो तो उसे अलग से अवगत कराया जाये।
- (2) मुख्य अभियन्ता स्-1, लो०नि०वि०, देहरादून द्वारा समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं का मार्ग के निर्माण एवं समरेखन निर्धारण के सम्बंध में प्रेषित पत्रांक 7272/8 (1) याता०-३०/०५ दिनांक 16.11.2005 में दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन किया जाये।

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण खण्ड, लो० नि० वि०
कर्णप्रयाग (चमोली)

H. Kumar
22.10.08
मुख्य अभियन्ता
कार्य प्रणाली विभाग स्तर-1
लो० नि० वि०, उत्तरांचल
देहरादून

(10)

Task Force Certificate


- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.


A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-


- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
- (v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with good results.


- (vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।


अमान
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि. ~~कर्णप्रयाग~~


सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि. ~~कर्णप्रयाग~~


अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


:मानक शर्तें:


1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके याचक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं हाँगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा०नि०वि० द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा०नि०वि० के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व० क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी० दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी सा०नि०वि० द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उ०प्र० वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।


73


15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टियों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

✓ प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य है।


अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि. ~~कर्णप्रयाग~~



सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि. ~~कर्णप्रयाग~~



अधिशास्त्री अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी 0 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।


भू-वैज्ञानिक / जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू-वैज्ञानिक / जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों / शर्तों का निर्माण कार्य के दौरान लो०नि०वि० द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।


अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि. कर्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि. कर्णप्रयाग


अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


(48)


परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी 0 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।


यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।



अमान
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग



कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि. कर्णप्रयाग



सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि. कर्णप्रयाग



अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग



पटवारी क्षेत्र


तहसीलदार
कर्णप्रयाग


उपजिलाधिकारी
कर्णप्रयाग


3-10-09
वन क्षेत्र


वन क्षेत्राधिकारी
पर्वत क्षेत्राधिकारी जि.
नारायणबगर


प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
बोपरकर (चमोली)



जिला अधिकारी
जिला अधिकारी
चमोली


परियोजना का नाम:-


(2.34) (46) (76)
जनपद चमोली में विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी 0 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।


वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान लो0नि0वि0 द्वारा वन्य जीव/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।


अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि. कर्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि. कर्णप्रयाग



अधिशारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

ईधन से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चम्परेली में विकास कर्मप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-
बुलानोट मोटर मार्ग के कि.मी. ११ से ग्राम बठियास तक
मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन अग्नि हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण के दौरान कार्य करने वाले मजदूरों/श्रमिकों, कर्मचारियों को प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पररसोई गैस, किरोसीन तथा ईधन की आपूर्ति की जायेगी व वनों को हानि नहीं पहुँचाई जायेगी।

प्रयोक्ता एजेन्सी



सहायक अभियन्ता
को. वि. वि. कर्मप्रयाग

Page
10




अधिष्ठाता अभियन्ता
प्रो. स्व. लो. वि. वि.
कर्मप्रयाग


परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी 0 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

ग्राम	परिवार	जनसंख्या
स्कूडा	188
बनियास	221
घाठिधाल	531
खैरवाडी	291
	मात्र -	1151


अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि. कर्णप्रयाग



सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि. कर्णप्रयाग



अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

एन0पी0वी0 की देयता का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम-- जनपद चमोली में विकास खांड कठप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के
कि०मी० 11 से ग्राम-वाठियास तक मोटर मार्ग निर्माण एवं वन भूमि हस्तान्तरण

प्रमाणित किया जाता है कि यदि मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है तो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा बड़ी हुई एन0पी0वी0 की धनराशि का भुगतान वन विभाग को किया जायेगा।



 सहायक अभियन्ता
 एन०पी०वी० कठप्रयाग



 अधिशाही अभियन्ता
 एन०पी०वी० कठप्रयाग


परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।


एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि लो0नि0वि0 द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी लो0नि0वि0 द्वारा जमा करा दी जायेगी।


अमन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि. ~~कर्णप्रयाग~~



सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि. ~~कर्णप्रयाग~~



अधिशोषी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

परियोजना का नाम:— जनपद चमोली में विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी 0 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।


प्रस्तावित परियोजना के लिये ली गई वन भूमि के सीमांकन करने हेतु आर०सी०सी० पिलरों का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।


अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि. कर्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि. कर्णप्रयाग


अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

परियोजना का सीमांकन का प्राक्कलन

जनपद-चमोली के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के कि०मी०-11 से ग्राम बणियास तक निर्माण हेतु 1.449 हे० सिविल भूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण के संबंध में सीमांकन का प्राक्कलन

क्र० सं०	विवरण / इकाई	कुल कि०मी०	दर प्रति हे०	धनराशि (रु० में)
1	2	3	4	5
1-	आर०सी०सी० पिलर (मुनारा) बनाना 1:6 मसाले सीमेंट में मय प्लास्टर करना दो कोट चूना सफेदी नम्बर करना	3.00 कि०मी० 10 पीलर प्रति कि०मी० = 30 पीलर	1164.00	34,920.00

[Signature]
प्रभारित प्रकाशिकारी
व्यवस्थापक वन प्रभाग
बोपेश्वर (चमोली)

[Signature]
संतोष कुमार
वन विभाग

[Signature]
अनुराधा शर्मा
प्रभारित सिविल इंजीनियर
नारायणपुर

② (84)

फैक्ट शीट / चैक लिस्ट "

- 1:-परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अर्न्तगत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के कि.मी. 11 से ग्राम बणियास तक मोटर मार्ग का निर्माण।
- 2:- प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है. में)
- | | | |
|--------------------------|----------------|------------|
| आरक्षित वन भूमि- | | 1.449 है. |
| सिविल एवं सोयम वन भूमि:- | 2070 मी. 7 मी. | -शून्य-हे. |
| वन पंचायती भूमि- | - मी - मी | 1.449 हे. |
| निजी भूमि - | 930 मी 7 मी | - हे. |
| योग:- | | 0.651हे. |
| | | 2.100 है. |
- 3:- प्रस्तावक विभाग का नाम :- लोक निर्माण विभाग
- 4:- वन प्रभाग का नाम :- बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।
- 5:- प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है:- हाँ/ नहीं
- 6:- प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है:- हाँ/ नहीं
- 7:- क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग -1, 2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है। हाँ/ नहीं
- 8:- क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है- हाँ/ नहीं,
- 9:- प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है:- हाँ/ नहीं,

10. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची / प्रमाण-पत्र संलग्न है : हाँ / नहीं

11. बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है : हाँ / नहीं

12. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है :

13. समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है : हाँ / नहीं

14. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का धनत्व सही है : हाँ / नहीं

15. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है : हाँ / नहीं

16. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है : हाँ / नहीं

17. प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर / परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है : हाँ / नहीं

18. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है : हाँ / नहीं

19. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है : हाँ / नहीं

यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण-पत्र संलग्न है : हाँ / नहीं

20. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है : हाँ / नहीं

21. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें) :

नया प्रस्तावित है

22. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि बनें अलग-2
रंगों से भरा गया है :

हाँ / ~~नहीं~~

23. यदि सड़क का आरम्भिक विन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो
उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है :

हाँ / ~~नहीं~~

24. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का
उल्लंघन हुआ है :

~~हाँ~~ / नहीं

25. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी
अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई
कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय :

नागू नहीं

26. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक
समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं :

हाँ / ~~नहीं~~

27. वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत
नोट संलग्न किया जाय) :

28. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है (5 हे० से
अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) :

हाँ / ~~नहीं~~

29. मानचित्र व वार चार्ट में एकरूपता है :

हाँ / ~~नहीं~~

30. मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है :

हाँ / ~~नहीं~~

अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है :

हाँ / नहीं

31. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र
प्रस्ताव में संलग्न है :

हाँ / ~~नहीं~~

32. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में
संलग्न है, यदि छायाप्रतियां संलग्न की गई हैं तो क्या वे
सत्यापित हैं :

हाँ / ~~नहीं~~

33. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण - पत्र संलग्न है : हाँ / नहीं
34. वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है : हाँ / नहीं
35. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है : हाँ / नहीं
36. क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न हैं : हाँ / नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फौकट प्लॉट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है समस्त प्रमाण-पत्र / सूचनायें संलग्न कर दी गयी हैं।



सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग



अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग